उल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया नागरिक सुरक्षा के 62वां स्थापना दिवस

आयुक्त अनुप्रेरणा सिंह कुंतल एवं जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने की शिरकत

जयपुर (लोकमत, संवाद)।
विधाधर नगर स्थित निदेशालय नागरिक सुरक्षा भवन में नागरिक सुरक्षा का 62वां स्थापना दिवस उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि श्रीमती अनुप्रेरणा सिंह कुंतल, आयुक्त नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा झंडारोहण किया गया।

आयुक्त अनुप्रेरणा सिंह कुंतल एवं जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी द्वारा सक्षम जयपुर-2024 के अन्तर्गत समस्त उपखण्डों में आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा का एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम संबंधी पोस्टर विमोचन किया गया। उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा श्री अमित शर्मा ने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को जयपुर के प्रत्येक उपखण्ड पर आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम में आम लोगों को जागरुक किया जाकर उनका क्षमता संवर्धन किया जावेगा।

समारोह में स्वयंसेवकों द्वारा नागरिक सुरक्षा सेवाओं जीवंत प्रदर्शन किया गया जिसमें बम विस्फोट या अन्य किसी आपदा/विपदा के दौरान क्षतिग्रस्त स्मॉक चेम्बर, बहुमंजिला इमारतों इत्यादि से हताहतों को नागरिक सुरक्षा बचाव दलों की मदद से विभिन्न बचाव विधाओं से बचाव प्रक्रिया को दर्शाया गया। साथ ही आग लगने पर अग्निशमन दलों द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले अलग-अलग उपकरणों का उपयोग कर भीषण आग पर नियंत्रण करना बताया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा विभाग के कार्मिकों/स्वयंसेवकों को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये।

समारोह में उप निदेशक नागरिक सुरक्षा निदेशालय श्रीमती सुमन देवी, स्टाफ ऑफिसर श्री इन्द्रमल सीनियर सहित अन्य विभागीय अधिकारी, कार्मिकों सहित कुल 500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

प्रदेश की महिला शक्ति की उड़ान योजना को विफल बनाने का षड़यंत्र : जूली

निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन वितरण के प्रति सरकार गंभीर नहीं

जयपुर (लोकमत, संवाद)। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं को उड़ान योजना के अंतर्गत निश्शुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के प्रति गंभीर नहीं है। सरकारी विभागों में इस योजना को लेकर समन्वय का अभाव बना हुआ है। एक विभाग की दूसरा विभाग सुन नहीं रहा है। इस वजह से प्रदेश में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की लाखों महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कमजोर नेतृत्व की वजह से जनकल्याणकारी और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों का बंटाधार हो रहा है। जूली ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उड़ान योजना को विफल बनाने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री यदि इतने संवेदनशील मुद्दे पर उदासीन बने रहते हैं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जूली ने कहा कि पिछले कांग्रेस शासन में 19 नवंबर 2021 को प्रदेश में महिलाओं को निश्शुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 'उड़ान योजना' लागू की गयी थी। यह योजना काली बाई भील महिला संबल योजना के अंतर्गत संचालित थी। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की लाखों गरीब महिलाओं और बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के ध्येय से महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा था। ये सैनेटरी नैपकिन राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (आरएमएससीएल) द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग को वितरण के लिए उपलब्ध कराये जा रहे थे।

नगर निगम ग्रेटर सतर्कता शाखा की टीम द्वारा की गई कार्यवाही

9 हजार रूपये का किया कैरिंग चार्ज वसूल, 9 केन्टर सामान जब्त

जयपुर (लोकमत, संवाद)।
नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार उपायुक्त सतर्कता श्री अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को सतर्कता शाखा की टीम द्वारा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार टोंक रोड़, टोंक फाटक के पास, गोपालपुरा पुलिया के नीचे, दुर्गापुरा पुलिया के नीचे, विधानसभा के आस-पास, एसएमएस अस्पताल के सामने, ट्रोमा सेन्टर के चारों तरफ, बांगड़ अस्पताल, जेके लोन अस्पताल, जेएलएन मार्ग,रामनिवास बाग, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, जगतपुरा फाटक, पत्रिका गेट एवं सांगानेर एयरपोर्ट आदि स्थानों से स्थाई अतिक्रमण एवं अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध 9 हजार रूपये का कैरिंग चार्ज कर 09 केन्टर सामान जब्त किया गया।

उपायुक्त सतर्कता श्री अजय कुमार ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार में टोंक रोड़, टोंक फाटक के पास, गोपालपुरा पुलिया के नीचे, दुर्गापुरा पुलिया के नीचे, विधानसभा के आस-पास, एसएमएस अस्पताल के सामने, ट्रोमा सेन्टर के चारों तरफ, बांगड़ अस्पताल, जेके लोन अस्पताल, जेएलएन मार्ग,रामनिवास बाग, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, जगतपुरा फाटक, पत्रिका गेट एवं सांगानेर एयरपोर्ट आदि स्थानों से स्थाई अतिक्रमण एवं अस्थाई अतिक्रमण हटवाया गया। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान 09 केन्टर सामान जब्त कर गोदाम में भिजवाया गया व मौके पर अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 9 हजार रूपये का केरिंग चार्ज वसूल किया गया तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता टीम द्वारा मौके पर समझाईश करते हुए मौखिक पाबंद करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अन्यथा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध भारी चालान या प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

राठौड रेरा बार के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित

जयपुर (लोकमत, संवाद)। बार एसोसियेशन ऑफ रेरा एण्ड रीट जयपुर के वर्ष 2024-25 के वार्षिक चुनाव 4 दिसम्बर, 2024 को सम्पन्न हुए। चुनाव में निविरोध रूप से अध्यक्षा पद पद मितेश राठौड, उपाध्यक्ष पद पर अभिलाषा शर्मा, महासचिव पद पर हार्दिक मिश्रा, संयुक्त सचिव पद पर मनीष शर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर उन्नति विजय, कार्यकारिणी सदस्य पद पर शुभम खण्डेलवाल एवं राघव कृष्णार्थ को निर्वाचित किया गया। चुनाव अधिकारी अखिलेख कुमार पारीक (मुख्य चुनाव अधिकारी), विवेक छीपा, मोहित चौधरी ने बताया कि 15 अक्टूबर 2024 को चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की गई उसके बाद 11 अक्टूबर 2024 को इलेक्शन शिड्यूल जारी किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्पेशल रिट पिटीशन 665/224 में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना में यह चुनाव सम्पन्न कराये गये है। महासचिव पद पर निर्वाचित हुये अधिवक्ता हार्दिक मिश्रा ने बताया कि उपरोक्त चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख 02. 12.2024 तय की गई थी एवं नोमिनेशन वापस लेने के लिये 03.12.24 तक का समय दिया गया था। बार के पूर्व कार्यकारिणी सहित अनेक अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देते हुये स्वागत किया।

NOTICE

HEADQUARTERS SOUTH WESTERN COMMAND, JAIPUR REGISTRATION AS APPROVED ASC CONTRACTORS

1. Applications are invited from interested suppliers for registration as ASC Contractors for annual contracts for supply of fresh articles like Mutton, Poultry, Eggs, Fish, Vegetables, Fruits, Potatoes, Onion, Garlic, Condiments, Firewood, Charcoal, Limequick, Ice (Machine made), Bread (White), Whole Wheat Bread, Green fodder, combined items/ all items combined etc and other items like Wheat Atta Whole Meal, Dalia, Suji, Flour, Ragi, Bajra, Jowar and Hay Baled etc at the following stations :-
Bathinda, Bikaner, Suratgarh, Sri Ganganagar, Hisar, Lalgarh Jattan, Faridkot, Fazilka, Birdhwal, MFFR North Camp including Delivery Point at Bhuriya Dhora and East Camp, Sirsa, Nal, Abohar, Jaipur including Delivery Point at Niwaru, Kota, Alwar, Bhisiana, Dholpur, Nahar Camp (Unit 736) and any other station which comes under jurisdiction of HQ South Western Command.
2. Annual value of contracts range approximately from Rs 1 lakh to Rs 6 crores Payments of bills is made on fortnightly basis and e-tenders are invited through online tentatively from JULY to SEPTEMBER and NOVEMBER to MARCH every year.
3. Interested parties may submit application on a plain paper addressed to MG ASC HQ South Western Command, Pin - 908546, C/o 56 APO. Any additional information may be obtained through e-mail ID Sandhu.09030@gov.in and tele No 0141-2249261 during working days and hours.

Dated : 30 Nov. 2024

cbc 10602/11/0006/2425

MG ASC
HQ South Western Command
Jaipur

नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाने के लिये अनाधिकृत नियम विरूद्ध लगाये गये एरियल केबल को हटाने की कि गई कार्यवाही

जयपुर (लोकमत, संवाद)।
नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देश पर शुक्रवार को नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा अनाधिकृत एवं नियम विरूद्ध लगाई गई एरियल केबल एवं अनाधिकृत स्व:निर्मित पोल्स को हटवाने संबंधी कार्यवाही की गई।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के आयोजन के दृष्टिगत शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाने के लिये नगर निगम ग्रेटर लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को सुबह 10 बजे से ही अरण्य भवन से अपैक्स सर्किल, अपैक्स सर्किल से बालाजी मोड़, जगतपुरा फ्लाई ओवर से 7 नं. चौराहा, 7 नं. चौराहा से अक्षय पात्र व अन्य मार्गो से नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा कार्यवाही शुरू की गई। मालवीय नगर जोन, सांगानेर जोन, जगतपुरा जोन में यह कार्यवाही उपायुक्त राजस्व प्रथम, लाईन्सेस, होर्डिग शाखा, गैराज शाखा, विद्युत शाखा एवं सतर्कता शाखा द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

आयुक्त बताया कि विभिन्न टेलीकॉम प्रदाता कम्पनी एवं अन्य डिजिटल केबल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा नगर निगम के विद्युत पेल्स पर लगाई गई अवैध एरियल केबल एवं अवैध क्रॉसिंग को संयुक्त टीमों द्वारा अभियान चलाकर हटाया गया। इसके साथ ही ऐसे स्थानों पर विजिलेंस टीम द्वारा गश्त भी करवाई जायेगी। जिससे अवैध केबल लगने की पुनरावृत्ति ना हो सके।

उन्होंने बताया कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा बिना अनुमति के लगाये जाने वाली एरियल केबल को हटाने की कार्यवाही के साथ ही संबंधित सेवा प्रदाता कम्पनी के विरूद्ध विधिक कारवाई की जाती रहेगी।

जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का होगा सम्मान

जयपुर (लोकमत, संवाद)।
राज्य में 'जैविक खेती प्रोत्साहन' हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले 03 कृषकों को एक लाख रुपये की राशि का राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जावेगा। संयुक्त निदेशक कृषि श्री राकेश कुमार पाटनी ने बताया कि राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए गत 05 वर्षो में कृषि/उद्यानिकी फसलों के उत्पादन तथा 02 वर्षो से जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करने वाले कृषक पात्र होंगे। जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य यथा जैविक खेती आधारित गतिविधियां, जैविक उत्पाद प्रसंस्करण एवं संवर्धन, वर्मी कम्पोस्ट इकाई, हरीखाद,फसल चक्र आदि करने वाले कृषक दिनांक 31.12.2024 तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेगे। जैविक खेती पुरस्कार आवेदन प्रपत्र संबंधित कृषि विभाग कार्यालय पर ऑनलाइन आवेदित किए जावेगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा एक उत्कृष्ट कृषक प्रति जिला अंतिम रूप से चयन कर अनुमोदित किया जावेगा। अनुमोदित कृषक का नाम कृषि आयुक्तालय को राज्य स्तर पर सम्मान के लिए भेजा जावेगा।

जेडीए ने जोन-5 में अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग को किया सील

जयपुर (लोकमत, संवाद)। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-05 में नंदपुरी, सोडाला के भूखण्ड संख्या एफ-12 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने ग्राउण्ड फ्लोर .03 मंजिला अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाष चन्द्र विष्नोई ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित नंदपुरी, सोडाला के भूखण्ड संख्या एफ-12 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ग्राउण्ड फ्लोर . 03 मंजिला में अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 06.12.2024 को उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, प्रवर्तन अधिकारी जोन-05 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर कैलाश चन्द्र बिश्नोई ने समस्त नागरिकों से अपील है कि प्रवर्तन संबंधित शिकायतों के संबंध में वे स्वंय उपस्थित होकर; कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 0141 2575151 पर 24×7; हेल्प लाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल cce.jda@rajasthan.gov.in & enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अवैध निर्माण/ कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की षिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें।

राजस्थान सरकार

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय

शिवबाड़ी रोड़ बीकानेर-334003 (राजस्थान)
फोन 0151-2542064 ईमेल gpc.bikaner@rajasthan.gov.in
क्रमांक :- रापोबी / लेखा / नीलामी / 2024-25/5638 दिनांक : - 02/12/2024

नीलामी सूचना

राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर के अधीन विभिन्न विभागों / प्रयोगशालाओं के अनुपयोगी / नाकारा घोषित सामान 'जहां है जैसा है, उसी स्थिति में' की सार्वजनिक नीलामी दिनांक-24.12.2024 को दोपहर - 12.00 बजे से नीलामी कमेटी द्वारा की जानी प्रस्तावित है। सामग्री का पुस्तक मूल्य रूपये 19,59,715 /- (अखरे रूपये उनीस लाख उनसठ हजार सात सौ पन्द्राह मात्र) है। इच्छुक बोलीदाता / फर्म जो जीएसटी में रजिस्ट्रड हो (फोटो प्रति देनी होगी) वह धरोहर राशि (Earnest Money) रूपये 39,195 / - (अखरे रूपये उनचालीस हजार एक सौ पचानवें मात्र) जमा करवाकर बोली में भाग ले सकते है। सामान का भौतिक अवलोकन महाविद्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 05.00 बजे तक किया जा सकता है।

नीलामी की शर्ते एवं संपूर्ण जानकारी विभागीय एवं महाविद्यालय की वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/college/gpcbikaner तथा www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। नीलामी को रद्द करना तथा नीलामी तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। नीलामी के दिन अवकाश होने पर नीलामी अगले दिवस को संपादित की जायेगी।

DIPR/C/12338/2024

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
बीकानेर।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय, बीकानेर

पी.एच.ई.डी. कैम्पस, इण्डस्ट्रीयल एरिया, के.जी. कॉम्पलेक्स के पास, रानीबाजार, बीकानेर (334001)
फोन नं. 0151-2226475 ई-मेल: pheddriibkn@gmail.com, eediv2.bik.phed@rajasthan.gov.in
Latitude 28.0005250 Longitude 73.3249120
क्रमांक :- 4492-99 दिनांक :- 28/11/2024

ई-बोली सूचना संख्या : 81 से 82/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के पंजीकृत/सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-टैण्डरिंग द्वारा बोली आमंत्रित की जाती है। यह बोली Web Site www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा बोली प्रपत्र http:/eproc.rajasthan.gov.in से दिनांक 29.11.2024 को सायं 06.00 बजे से दिनांक 09.12.2024 को सायं 06.00 बजे तक डाउनलोड किये जा सकते है तथा ऑनलाईन बिड डालने की अवधि दिनांक 09.12.2024 को सायं 06.00 बजे तक रहेगी, उक्त बोली दिनांक 10.12.2024 को दोपहर 01:00 बजे ऑनलाईन खोली जायेगी।

Egrass (electoronic goverment receipt accounting system web site https://egras.raj.nic.in) के माध्यम से बोली शुल्क बजट मद 0075-00-800-52-01 धरोहर राशि बजट मद 8443-00-108-00-00 जो कि '23810 Executive Engineer, PHED, District (Rural) Division II, Bikaner के नाम से एवं ई-टैण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क बजट मद 8658-00-102-16-02 जो कि Managing Director, RISL Payable at Jaipur के नाम से एक ही चालान से जमा करवाना आवश्यक होगा। कुल 02 कार्य है जिसकी कुल लागत 59.00 लाख रूपये है जिनमें एक कार्य की अधिकतम रूपये 29.50 लाख है।

बोली संख्या	81	82
एसपीपीपी कोड संख्या	PHE2425 WSRC06525	PHE2425 WSRC06526

(नरेश कुमार रैगर), अधिशाषी अभियंता
जन स्वा. अभि. विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय, बीकानेर

DIPR/C/12248/2024

राजस्थान सरकार

कार्यालय बटालियन कमान्डेन्ट बोर्डर होम गार्डस बीकानेर

पता - दीनदयान सर्किल के पास, सार्दुल क्लब परिसर में, बीकानेर, 334001
फोन नम्बर 0151-2627926 ई मेल - bncomdt.bikrj@RAJASTHAN.GOV. IN
क्रमांक :- सीगृर / बीका/भण्डार/3 (12)/2024/ 5224-40 दिनांक- 29/11/2024

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सीमा गृह रक्षा दल बीकानेर के भण्डार के नाकारा सामान एवं वर्दी सामग्री की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 23.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे बोर्डर होम गार्डस सार्दुल क्लब परिसर बीकानेर मे की जावेगी । नाकारा सामान की अनुमानित कीमत रूपये 3,08, 398.11 (अखरे राशि रूपये तीन लाख आठ हजार तीन सौ अठानवें व पैसे ग्यारह मात्र) है। इच्छुक खरीदार बोली लगाना चाहे वह निर्धारित तिथि व समय एवं स्थान पर स्वयं के खर्चे पर उपस्थित होकर दो प्रतिशत की धरोहर राशि रूपये 7,000/- (अक्षरे राशि रूपये सात हजार मात्र) जमा करवाकर बोली लगा सकता है। नाकारा सामग्री किसी भी कार्यदिवस एवं कार्यालय समय मे स्वंय के खर्चे पर उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

नीलामी की अन्य मुख्य आवश्यक शर्ते निम्नानुसार है :-

1- बोली लगाने वाले को 7,000 /- (अक्षरे राशि रूपये सात हजार मात्र) बोली लगाने से पूर्व बतौर धरोहर राशि के जमा करवाने होगे, जो कि अन्तिम बोली समाप्ति पर लौटा दिये जायेगें।
2- बोली स्वीकृत हो जाने पर बोली लगाने वाले की बोली छुटने पर सम्पूर्ण राशि तत्काल जमा करवाकर माल स्वयं के खर्चे पर उठाना होगा। इसके पश्चात कार्यालय की कोई जबावदारी नही होगी।
3- नीलामी की अन्तिम रूप से समाप्ति उसी दिन नही होती है तो बोली को आगे चालू रखने का अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
4- नीलामी सामग्री पर देय किसी प्रकार के कर एवं सरचार्ज (CGST/SGST) का चुकारा खरीरदार को करना होगा ।
5- नीलामी मे भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नीलामी की सम्पूर्ण शर्तो की जानकारी प्राप्त करनी होगी एवं समस्त शर्तो की पालना हेतु प्रत्येक खरीरदार एवं बोली लगाने वाला बाध्य होगा
6- नीलामी कमेटी को नीलामी की किसी भी बोली को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा किसी भी प्रकार के विवाद में नीलामी कमेटी का फैसला अन्तिम होगा एवं नीलामी के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का वाद नहीं किया जा सकेगा ।
7- नीलामी मे उचित राशि की वसूली नहीं होने पर नीलामी हेतु दूसरी तिथि तय करने का सम्पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
8- अन्तिम बोली दाता द्वारा माल नहीं उठाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
9- न्यूनतम निर्धारित नीलामी दर से आपको नीलामी के समय नीलामी कमेटी द्वारा अवगत करवा दिया जावेगा।
10- बोलीदाता को GST पंजीकृत होना आवश्यक है।
11- सामग्री जैसी है जहाँ है के आधार पर ही निलाम की जायेगी।

(अरूण सिंह भाटी)
बटालियन कमाण्डेन्ट
बोर्डर होम गार्डस, बीकानेर

DIPR/C/12255/2024

एल्केमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(सीआईएन नं. 74999**DL**2002**PLC**117052)
ए-270 (एफएफ एंड एसएफ), डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110 024, दूरभाष : 91-11-46562580 - 83
फैक्स : 91-11-46562584, ईमेल : **admin@alchemistarc.com**, वेब : **www.alchemistarc.com**

ई-नीलामी बिक्री सूचना

[कृपया नियम 8(6) और नियम 9 सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 और परिशिष्ट IV A देखें]

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना (जिसे आगे के रूप में संदर्भित किया गया है एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9 के साथ पढ़ा जाए।

इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सुरक्षित परिसंपत्तियाँ, सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित, जिसका प्रतीकात्मक कब्ज़ा 23-11-2023 को पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है और ऋण के असाइनमेंट के बाद, 'अलकेमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो अलकेमिस्ट XXXIX ट्रस्ट के ट्रस्टी की अपनी क्षमता में कार्य कर रही है' (जिसे आगे 'सुरक्षित ऋणदाता' के रूप में संदर्भित किया गया है) सुरक्षित ऋणदाता बन गई है, इस प्रकार प्रतीकात्मक कब्ज़ा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी के पास है, इसे 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है', 'जो कुछ भी है', और 'बिना सहारा के' आधार पर बेचा जाएगा। 'सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी' ('एओ') द्वारा 'ऑनलाइन ई-नीलामी वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से 10-01-2025 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, प्रत्येक के लिए पांच (5) मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ, यदि बढ़ी हुई बोली ई-नीलामी बंद होने से पहले की जाती है, तो अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को देय कुल 96,04,89,723/- रुपये (छियानवे करोड़ चार लाख अस्सी हजार सात सौ तेईस रुपये मात्र) की वसूली के लिए, जो उधारकर्ता और बंधककर्ता निनानिया एस्टेट्स लिमिटेड और गारंटर श्री विजय सिंह राव, श्री प्रतीक राव और श्रीमती से अल्केमिस्ट XXXIX ट्रस्ट (सुरक्षित लेनदार) के ट्रस्टी की क्षमता में कार्य कर रहा है। निर्मला राव, 30-11-2024 तक, साथ ही उस पर देय ब्याज और शुल्क AARC को देय हैं। आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा (ईएमडी) और सुरक्षित संपत्ति (एस) का विवरण नीचे दिया गया है।

उधारकर्ता और बंधककर्ता और गारंटर का विवरण	लॉट नं.	सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य बयाना राशि जमा (ईएमडी)
1. निनानिया एस्टेट्स लिमिटेड (सीआईएन 45201RJ2004PLC019382) प्रिज्म टावर, टावर ए, सेक्टर 2. ग्वाल पहाड़ी, गुरूग्राम-फ़रीदाबाद रोड, गुरूग्राम 122003. **यहां भी:** 160, करणी विहार, अजमेर रोड, रावत के पास महिला कॉलेज, जयपुर-201021. **2. श्री. विजय सिंह राव पुत्र श्री धूप सिंह राव,** निवासी नं. 278/3, पुरानी दिल्ली रोड गुड़गांव-122001। **3. श्री. प्रतीक राव पुत्र श्री विजय सिंह राव,** निवासी नं. 278/3, पुरानी दिल्ली रोड, गुड़गांव-122001। 4. श्रीमती. निर्मला राव पत्नी श्री विजय सिंह राव, निवासी नं. 278/3, पुरानी दिल्ली रोड, गुड़गांव-122001.	1.	भूमि का वह टुकड़ा और पार्सल जो आनुपातिक अविभाजित फ्रीहोल्ड भूमि का हिस्सा है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 6585 वर्ग मीटर (1.63 एकड़) है, जिसके ऊपर होटल भवन (टॉवर बी) है और जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 2,91,118 वर्ग फीट है, खसरा संख्या 4/18/2/1, 18/2/2, 19, 21/2, 22, 26, 8/2, 48/12 मिनट, 13/1 मिनट, सेक्टर-2, ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव-फरीदाबाद रोड, गुड़गांव, हरियाणा, साथ में सभी भवन, संरचनाएं, निर्माण आदि जो वर्तमान और भविष्य में निर्मित किए जाने हैं और पृथ्वी से जुड़े या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़े संयंत्र और मशीनरी, उस पर लगाए गए/स्थापित किए गए या लगाए जाने वाले/स्थापित किए जाने वाले फिक्सचर और फिटिंग और उसका प्रत्येक भाग।	**111.35 करोड़ रुपये** (केवल एक सौ ग्यारह करोड़ और पैंतीस लाख रुपये) **11.14 करोड़ रुपये** (केवल ग्यारह करोड़ और चौदह लाख रुपये)
	2.	भूमि का वह टुकड़ा जो निर्मित क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें 2, 5, 6 और 7वीं मंजिल पर लगभग 27, 393 वर्ग फीट का क्षेत्रफल शामिल है, साथ ही प्रिज्म टावर्स के टावर-ए में लगभग 26815 वर्ग फीट का बेसमेंट क्षेत्र और लगभग 1629 वर्ग मीटर फ्रीहोल्ड भूमि का आनुपातिक अविभाजित हिस्सा शामिल है। (0.40 एकड़) खसरा संख्या 4/18/2/1, 18/2/2, 19, 21/2, 22, 26, 8/2, 48/12 मिनट, 13/1 मिनट सेक्टर-2, ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव-फरीदाबाद रोड, गुड़गांव, हरियाणा के साथ-साथ वहां निर्मित और/या निर्मित होने वाले सभी भवन, संरचनाएं, निर्माण आदि, वर्तमान और भविष्य में और पृथ्वी से जुड़े संयंत्र और मशीनरी या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई, उस पर लगाए गए/स्थापित किए गए या लगाए जाने वाले/स्थापित किए जाने वाले फिक्सचर और फिटिंग और उसका प्रत्येक भाग।	**रु. 20.40 करोड़** (केवल बीस करोड़ और चालीस लाख रुपये) **रु. 2.04 करोड़** (केवल दो करोड़ और चार लाख रुपये)
	3.	भूमि का वह टुकड़ा और पार्सल जो लगभग 6585 वर्ग मीटर (1.63 एकड़) की फ्रीहोल्ड भूमि के आनुपातिक अविभाजित हिस्से का हिस्सा है और उस पर होटल भवन (टॉवर बी) है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 1.63 एकड़ है। खसरा संख्या 4/18/2/1, 18/2/2, 19, 21/2, 22, 26, 8/2, 48/12 मिनट, 13/1 मिनट, सेक्टर-2, ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव-फरीदाबाद रोड, गुड़गांव, हरियाणा में 2,91,118 वर्ग फीट, साथ में सभी भवन, संरचनाएं, निर्माण आदि जो वर्तमान और भविष्य में निर्मित और/या निर्मित किए जाने हैं और संयंत्र और मशीनरी जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई है, उस पर लगाए गए/स्थापित किए गए या लगाए जाने वाले/स्थापित किए जाने वाले फिक्सचर और फिटिंग और उसका प्रत्येक भाग और भूमि का वह टुकड़ा और पार्सल जो निर्मित क्षेत्र में शामिल है और उसका हिस्सा है, जिसका माप लगभग है। 27,393 वर्ग फीट 2, 5, 6 और 7वीं मंजिलों पर टॉवर-ए में लगभग 26815 वर्ग फीट बेसमेंट क्षेत्र के साथ, प्रिज्म टावर्स के साथ-साथ लगभग 1629 वर्ग मीटर की फ्रीहोल्ड भूमि का आनुपातिक अविभाजित हिस्सा। (0.40 एकड़) खसरा संख्या 4/18/2/1, 18/2/2, 19, 21/2, 22, 26, 8/2, 48/12 मिनट, 13/1 मिनट सेक्टर-2, ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव-फरीदाबाद रोड, गुड़गांव, हरियाणा के साथ-साथ सभी भवन, संरचनाएं, निर्माण आदि जो वर्तमान और भविष्य में निर्मित और/या निर्मित किए जाने हैं और संयंत्र और मशीनरी जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई है, फिक्सचर और फिटिंग जो उस पर स्थापित/स्थापित की गई है या स्थापित/स्थापित की जाने वाली है और उसका प्रत्येक भाग।	**131.75 करोड़ रुपये** (एक सौ इकतीस करोड़ और पचहत्तर लाख रुपये मात्र) **13.18 करोड़ रुपये** (तेरह करोड़ और अठारह लाख रुपये मात्र)

नोट : 1. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि लॉट्स की नीलामी बिक्री पर नीचे दी गई प्राथमिकता के अनुसार विचार किया जाएगा:
(i) प्राथमिकता संख्या 1 : यदि ऑनलाइन ई-बोली प्रक्रिया के अंत में लॉट संख्या 1 की नीलामी बिक्री एओ द्वारा सफल मानी जाती है तो अन्य लॉट की नीलामी बिक्री रद्द कर दी जाएगी।
(ii) प्राथमिकता संख्या 2 : यदि ऑनलाइन ई-बोली प्रक्रिया के अंत में लॉट संख्या 1 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट संख्या 3 की एच1 बोली को मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा और लॉट 2 की नीलामी प्रक्रिया भी रद्द हो जाएगी और केवल लॉट संख्या 3 पर विचार किया जाएगा।
(iii) प्राथमिकता संख्या 3 : यदि लॉट संख्या 1 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट संख्या 2 की एच1 बोली को मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा।
2. उधारकर्ता और बंधककर्ता/गारंटर सहित सभी इच्छुक पक्षों का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ता और बंधककर्ता/गारंटर को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि वे इस नोटिस को 30 दिनों की बिक्री नोटिस (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6) के अनुसार नियम 9(1) के अनुसार) के रूप में मानें और उन्हें 09-01-2025 को या उससे पहले अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग करने और देयता का पूर्ण रूप से निर्वहन करने का अंतिम और अंतिम अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर सुरक्षित परिसंपत्तियाँ इस ई-नीलामी बिक्री नोटिस और नीचे दिए गए लिंक में प्रकाशित बोली दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार 10-01-2025 को बेची जाएंगी। इसके द्वारा बेची जा रही सुरक्षित परिसंपत्तियों पर भार के लिए, बोलीदाताओं को बोली दस्तावेज देखने की सलाह दी जाती है। बिक्री इस ई-नीलामी बिक्री नोटिस और बोली दस्तावेज (नीचे दिए गए लिंक में प्रकाशित) में शामिल नियमों और शर्तों के अधीन है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों और बिक्री के नियमों और शर्तों का विवरण है जो इस ई-नीलामी बिक्री नोटिस का हिस्सा हैं।
3. कोई व्यक्ति अपनी बोली प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है यदि ऐसा व्यक्ति, या ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या मिलकर काम करने वाला कोई अन्य व्यक्ति दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29ए के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य है और प्रत्येक बोलीदाता को अपने केवाईसी दस्तावेजों के साथ एक नोटरीकृत वचन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह घोषित और पुष्टि की जाएगी कि बोलीदाता उधारकर्ता/प्रवर्तक/गारंटर/बंधककर्ता (बोली दस्तावेज में दिए गए मसौदे के अनुसार) से जुड़ा पक्ष नहीं है।
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-IA के अनुसार, यदि बिक्री मूल्य 50,00,000.00/- (पचास लाख रुपये मात्र) या उससे अधिक है, तो बिक्री आय पर TDS लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बिक्री मूल्य का 1% की दर से लागू TDS काटेगा और इसे निनानिया एस्टेट्स लिमिटेड (बंधककर्ता और मालिक), जिसका PAN नंबर - AACCN0975A है, के पक्ष में आयकर विभाग में जमा करेगा। इसके अलावा, बिक्री मूल्य का केवल 99% सुरक्षित लेनदार को भेजा जाना है।
5. यह ई-नीलामी बिक्री नोटिस SARFAESI अधिनियम, 2002; दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016; ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और/या किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।
6. बोलीदाताओं को विधिवत निष्पादित बोली दस्तावेज 03-01-2025 को अपराह्न 3:30 बजे तक या उससे पहले जमा करना होगा, साथ ही बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डीडी/पे ऑर्डर के माध्यम से 'अलकेमिस्ट XXXIX ट्रस्ट' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होगी और 'प्राधिकृत अधिकारी, अलकेमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ए-270, प्रथम और द्वितीय तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024' को संबोधित होगी या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से बैंक खाता संख्या 04811100005288, लाभार्थी 'अलकेमिस्ट XXXIX ट्रस्ट', आईएफएससी कोड संख्या BIN0804819, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आर.के. पुरम शाखा, नई दिल्ली में जमा करनी होगी, जिसकी रसीद नीलामी बोली फॉर्म सहित विधिवत भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संलग्न की जाएगी।
7. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया लिंक पर जाएँ 6 लिंक : www.alchemistarc.com और एसेट टैब के अंतर्गत लाइव नीलामी टैब पर क्लिक करें8। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, इच्छुक पक्ष एओ से टेलीफोन नंबर - 011 - 46562580-81-82-83 पर संपर्क कर सकते हैं या jeevan@alchemistarc.com पर ईमेल कर सकते हैं।

स्थान : दिल्ली, दिनांक : 07.12.2024

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)